



समक्ष :न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण

/आर/ II / 2019

निराज्ञी-015-6/2019/श्योपुर | ५०८०

इबने अब्बास पुत्र मुस्तजावउद्दीन जाति
बोहरा मुसलमान, निवासी श्योपुर जिला
श्योपुर म.प्र.

आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

अनावेदक

आवेदन न्यायालय अपर आयुक्त महोदय चमबल
संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 15/2014-15/
निगरानी में हुये निर्णय दिनांक 24.09.18 के विरुद्ध
अंतर्गत धारा 50 भूराजस्व संहिता एवं रिव्यू प्र.क.
03/18-19/रिव्यू आदेश दिनांक 29.10.18

WEER SINGH JADON
Advocate
Pali Road, Shapour (M.P.)
Mob. 9826689452

निगरानी न्यायालय,
निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 भू-राजस्व संहिता के तहत
निम्नांकित प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य :-

यह कि ग्राम मठेपुरा की भूमि सर्वे नम्बर 24/10 रक्बा 4 बीघा 14
बिस्वा भूमि धूड़िया पुत्र लालजी जाति कोली के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर सम्बत
2026 से 2029 में अंकित थी। धूड़िया की मृत्यु के बाद उक्त भूमि उसे वारिस
पना पुत्र धूड़िया, धन्नी, वमंगडी पुत्रीया एवं मु.ग्यारसीबाई बेवा धूड़िया के नाम
नामांतरण पंजी क्रमांक 08/15.03.1970 से फौती नामांतरण हुआ था।

यह कि ग्यारसीबाई बेवा धूड़िया कोली द्वारा दिनांक 17 जून 1986 से
उक्त भूमि सर्वे नम्बर 24/10 में से हिस्सा 1/2 में से रक्बा 10 बिस्वा भूमि
कोशल्याबाई पत्नी हरिप्रसाद मित्तल के पक्ष में विक्य पत्र लिखवाया था और भूमि
की रजिस्ट्री की गई थी और कोशल्याबाई द्वारा विक्य पत्र के आधार पर विधिवत
राजस्व अभिलेख में नामांतरण पंजी क्रमांक 07/09.12.97 को नामांतरण स्वीकार
किया गया था।

यह कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण होने के पश्चात कौशल्याबाई
द्वारा विधिवत उक्त भूमि के डायरर्सन हेतु श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय
क्रमांक:.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
निगरानी 156/2019/श्योपुर/भूरा.

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा ाकों आदि के हस्ताक्षर
4.4.19	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्री वीरसिंह जादौन उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण में तर्क किये गये। तर्क के दौरान यह तथ्य सामने आया है कि आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की थी जिसमें आदेश दिनांक 24.9.18 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के यहा पारित आदेश निगरानी में जिसके विरुद्ध रिव्यु प्रकरण भी आयुक्त चंबल संभाग मुरैना में किया गया था जिसका आदेश दिनांक 29.10.18 पारित किया गया है। जबकि इस न्यायालय में निगरानी में आदेश दिनांक 24.9.18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2—आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह त्रुटि मान्य की गई, आवेदक अधिवक्ता प्रकरण को आगे नहीं चालाना चाहते हैं। अतः प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य .</p>	